न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/3840/2006/जोधपुर

लालसिंह पुत्र तेजदान चारण, निवासी ग्राम बोरून्दा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ।

अपीलाण्ट

बनाम

रघुनाथसिंह पुत्र तेजदान चारण, निवासी ग्राम बोरून्दा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ।

रेस्पोडेण्ट

खण्डपीठ
मंजू राजपाल, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 8-12-2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-5-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक दावा 88, 188 एवं 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सगे भाई है एवं पारिवारिक समझौते दिनांक 12-12-1972 से सम्पत्ति का बंटवारा हुआ व जरिए बंटवारा ग्राम बोरून्दा में स्थित खसरा नंबर 1113 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अपीलाण्ट के कब्जे में आयी । तभी से वह काबिज है किन्तु उक्त भूमि लालसिंह के नाम दर्ज है। उक्त दुरूस्ती का अंकन करने हेतु कहने पर लालसिंह द्वारा मना किए

जाने पर रेस्पोडेण्ट/वादी रघुनाथसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया कि उक्त भूमि का खातेदार रेस्पोडेण्ट/वादी को घोषित किया जावे एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे । अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का जबावदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12-12-72 इकरारनामा प्रार्थना-पत्र पेश किया गया पारिवारिक समझौता में चक नंबर 1 इन्द्रदान, लालसिंह, रूघनाथ का था उसमें खसरा नंबर 1113 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है । वादी/प्रार्थी ट्रेसपासर है एवं अप्रार्थी(प्रतिवादी) रेकार्डेड खातेदार है, जो जमाबन्दी से प्रमाणित है । अतः अप्रार्थी(प्रतिवादी) स्थाई निषेधाज्ञा व दावा खारिज किया जावे। काउन्टर क्लेम में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने स्वयं बंटवारा इकरारनामा दिनांक 12-12-1972 को सहमत व अपने आपको उससे पाबंद मानते हुए पेश किया है। उसी अनुसार देनदारी की सूची मुताबिक कर्ज सम्पूर्ण नहीं चुक जाता है व उसका ब्याज नहीं चुका जाता है, तब तक कोई मुकदमा करने का अधिकार नही है । दावे व जबावदावे/काउन्टर क्लेम के आधार पर तीन तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है-

1- मौजा बोरून्दा में स्थित वादग्रस्त खसरा नंबर 1113 रकबा 17बीघा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादी स्वयं को घोषित कराने का अधिकारी है ?
-जिम्मे वादी

2- वादी, प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा बोरून्दा में कृषि भूमि खसरा नंबर 1113 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी स्वयं अथवा अन्य से किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करें ? -जिम्मे वादी

3- वादग्रस्त जमीन खसरा नंबर 1113 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी रेकार्डेड खातेदार है । वादी एक ट्रेसपासर है, वादी किसी तरह का कानूनी लाभ पाने का अधिकारी नहीं है ? -जिम्मे प्रतिवादी

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28-11-2005 से रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर दिया तथा रेस्पोडेण्ट/वादी को बेदखल कर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय

दिनांक 15–5–2006 द्वारा प्रकरण को आंशिक स्वीकार कर प्रतिप्रेषित किया गया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–5–2006 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य आधार पारिवारिक समझौता है, परन्तु यह भूमि भू अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 141 से लालसिंह की खातेदारी में अंकित की गई है । यदि पारिवारिक व्यवस्था को आधार माना जावे तो भी वादी भूमि का कब्जा बतौर खातेदार बैक ऋण की अदायगी पर ही प्राप्त करने का अधिकारी रहता है । विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 28–11–2005 के निर्णय व डिक्री से रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद निरस्त कर दिया एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर कब्जा दिलाये जाने का निर्णय पारित किया है । जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की है, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–5–2006 से पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है। रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर था जिसे विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अपीलीय न्यायालय के पास सम्पूर्ण दस्तावेज तथा साक्ष्य उपलब्ध थे, इसके बावजूद अपील को प्रतिप्रेषित किया है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्णित करना अपेक्षित था । इसके साथ ही विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया गया है तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया है जिसकी दो अपील प्रस्तुत करनी थी परन्तु एक ही अपील पेश की गई जो पोषणीय नहीं थी । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त कर सहायक कलेक्टर का निर्णय दिनांक 28–11–2005 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर. 1976 एससी पृष्ठ 866,आर.आर.टी. 2007(1)पृष्ठ 386 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका

कथन है कि विवादित भूमि पारिवारिक समझौते के अनुसार उन्हें प्राप्त हुई है। अतः रेस्पोडेण्ट उक्त भूमि बाबत खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी था । वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की थी जिस पर सभी के अधिकार है । विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार पर वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण के आधार पर अपीलाण्ट की दर्ज होना मानते हुए वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया जो निरस्तनीय था जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से उभय पक्षकारान को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए मूल वाद का निस्तारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । दावे के खारिज होने तथा प्रतिदावा के डिक्री किए जाने के विरूद्ध दो अपील होने का बिन्दु प्रथम अपीलीय न्यायालय में नहीं उठाया गया , जो अब इस न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता । अतः अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पृष्ठ 323, आर.आर.टी. 2020(1) पृष्ठ 198, 401, 452 , ए.आई.आर. 2003 एससी पृष्ठ 3167 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है हस्तगत प्रकरण दिनांक 12-12-1972 को किए गए पारिवारिक समझौते से संबंधित है । अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सगे भाई है एवं पारिवारिक समझौते के अनुसार दिनांक 12-12-1972 से सम्पत्ति का बंटवारा हुआ व जरिए बंटवारा ग्राम बोरून्दा में स्थित खसरा नंबर 1113 रकबा 17 बिस्वा 11 बिस्वा किस्म बारानी अपीलाण्ट के कब्जे में आयी तभी से वह काबिज है किन्तु उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज है। उक्त दुरूस्ती का अंकन कहने पर अपीलाण्ट लालसिंह द्वारा मना किए जाने पर रेस्पोडेण्ट रघुनाथसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि का खातेदार को घोषित किया जावे एवं लालसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे । अपीलाण्ट लालसिंह द्वारा उक्त वाद का जबावदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-11-2005 द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद खारिज कर अपीालण्ट/प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया । विचारण न्यायालय

द्वारा दावे व काउन्टर क्लेम के आधार पर निर्णय पारित किया । विचारण न्यायालय ने वादी का दावा खारिज किया तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री किया गया । इस प्रकार हमारे मत के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/वादी को दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी किन्तु उनके द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की थी जो रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बाधित थी । इस संबंध में आर.आर.डी. 2019 पृष्ठ 323 पर यह मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, Section 224-Trial Court dicided and decreed three revenue suit by a common Judgment –A Counter claim was also filed but no order was passed –Against these case only two appeal were filed and case were remanded to trail court-Second appeal befor Board-Held-Question of law involved in whether four separate appeals were to be filed wheras only two appeals filed- Consolidation of suits is done to avoid multiplicity of proceedings but consolidated suits remain separate from each other-Having failed to filed separate appeals the principal of res-Jidicata applies –Therefore material illegality was submitted by first appellate Court in remanding the matter-Judgment and decree of Trial Court restored .

इसी प्रकार आर.आर.टी. 2020 (1) पृष्ठ 198 के पैरा नंबर 6 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

"Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन के मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.

पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। आर.एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28–1–2015 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है–

"From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged..... .Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

2021 RRT(2) 997 में हरीचन्द बनाम परमानन्द व अन्य के मामले में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sections 88,91,92, 188, 183 and 209 – Mutation of the land opened in the name of plaintiff and the defendant/respondents No. 1 and 2 –Suit decreed –Revenue Appellate Authority set aside the judgement –all the three brothers are recorded khatedar of equal share –No decree can be passed in favour of the plaintiff on the basis of oral evidence –Counter claim of the defendant was dismissed –one appeal is not maintainable and liable to be dismissed , Held , Appeal is devoid of substance and dismissed .

2021 RRT(2) 628 में मूलचन्द बनाम गिरीराज व अन्य के मामले में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sections 88,, 183 and 92-A-Code of Civil Procedure, 1908 –Order 8, Rule 6A –Trial Court dismissed the suit and decreed the counter claim Revenue Appellate Authority set aside the judgement and framed the new issue No. 7 and 8 remanded the case –No justification to frame the issue No. 7 and 8- Appellant is in possession on the basis of registered sale deed-Respondent/plaintiff filed one appeal against the two judgments which was not maintainable –Held, Impugned judgment is set aside .

उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–5–2006 रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब विचारण न्यायालय के समक्ष दावा के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाता है तो काउन्टर क्लेम भी एक दावे की तरह ही होता है जिसके विरूद्ध भी अपील पोषणीय होती है । किन्तु रेस्पोडेण्ट रघुनाथसिंह द्वारा प्रस्तुत दावा जो खारिज हुआ व लालसिंह द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया उसके विरूद्ध रघुनाथसिंह द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील प्रस्तुत की गई, जो अपीलीय न्यायालय में पोषणीय नहीं थी । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इस विधिक बिन्दु पर ध्यान दिए बगैर निर्णय को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है । अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 15–5–2006 निरस्त किया जाता है। सहायक कलेक्टर, बिलाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) (मंजू राजपाल)

सदस्य सदस्य